न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– **NEW No.154/2022–GCMS 2022/311**{(गत 22/2019 **RCMS 2019/00050**)

वादीगण

1- सुवालाल पुत्र सुजादास
2- धर्मेश्वर पुत्र सुजादास
3- पवन कुमार पुत्र सुजादास
4- भगवती प्रसाद पुत्र सुजादास जाति समस्त साद निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर
राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा व त्रुटी सुधार अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 *R.L.R .Act 1956*

उपस्थित –श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता बजरंगलाल पुत्र बन्नाराम खटीक कुचामन की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता दिलीप अग्रवाल एवं दिलीपसिंह की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 31-10-2022

प्रकरण में सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 जिसके नवीन खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.02 हैक्टर वादीगण की खातेदारी है, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण की उक्त खसरों से खातेदारी हटा दी गई थी, जिसे पुनः वादीगण अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें, अन्य दादरसी वादी के हक में अता फरमाई जावें।

उक्त वाद पत्र अनुसार राजस्व वाद संख्या 22/2019 दर्ज कर उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई पश्चात वाद वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी निर्णय व डिक्री दिनॉक 28.06.2019 के द्वारा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनॉक 28.06.2019 के विरूद्व एक अपील मंदिर श्री बिहारीलाल जी महाराज जरिये वादमित्र दिलीपसिंह पुत्र कुबेरसिंह राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हीराणी बनाम सुवालाल व अन्य माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत हुयी, जो अपील सं. 24/2020 दर्ज होकर निर्णय दिनॉक 06.03.2020 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनॉक 06.03.2020 के विरूद्व द्वितीय अपील मन्दिर श्री बिहारीजी महाराज कुचामनसिटी जरिये वाद

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मित्र दिलीपसिंह पुत्र कुबेरसिंह राजपूत बनाम सुवालाल व अन्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जो अपील सं. 3291/2020 दर्ज होकर निर्णय दिनॉक 23 अगस्त 2022 के द्वारा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर का निर्णय दिनॉक 06.03.2020 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी का निर्णय दिनॉक 28.06.2019 खारिज किये जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनो पक्षो की साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। आर्डर 41 रूल्स 23 अनुसार अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले का रिमांड – जहॉ न्यायालय जिसकी डिक्री से अपील की गई है,ने प्रारभिक बिंदु पर वाद का निपटारा कर दिया गया है, अपील न्यायालय, यदि ठीक समझे, आदेश द्वारा मामले को वापस ले सकता है कि कौन सा मुद्दा या इस तरह के मामले में मामले पर विचार किया जाएगा, और अपने फैसले और आदेश की एक प्रति इस न्यायालय को भेजेगा, जिसकी डिक्री से अपील की जाती है, जो सिविल सूट के रजिस्टर में अपनी मूल संख्या के तहत वाद को फिर से स्वीकार करने का निर्देश देता है, और सूट का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े, और मूल परीक्षण के दौरान दर्ज किए साक्ष्य (यदि कोई हो) सभी उचित अपवादो के अधीन, रिमांड के बाद परीक्षण के दौरान साक्ष्य होंगे।

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः सुनवाई शुरू की गई। वादीगण की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। इसमें उल्लेख किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा निर्णय दिनॉक 23.08.2022 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन या राय व्यक्त नही की गई है, जबकि वाद पत्र में यह निवेदन किया गया था एवं गिरदावरी सम्वत 2010–2013 में वादीगण के पूर्वज बतौर उप कृषक दर्ज रहे है जो कि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उप कृषक के रूप में दर्ज होने से सम्वत 2010 अर्थात सन् 1952 में उपकृषक के रूप में दर्ज होने से राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से जागीर के अधिग्रहण के पश्चात भूमि राज्य सात होकर उप कृषक स्वतः ही खातेदार घोषित हो गये।

सम्वत 2022 से वरवक्त नवीन भू–प्रबन्ध 2046–2065 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी या न्यायाल के आदेश के बगैर ही वादीगण का नाम हटा दियागया एवं सीधे ही मन्दिर के नाम दर्ज कर दी। द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण की उक्त खसरों की खातेदारी हटा दी गई जिन्हे वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद में भी मुख्य अनुतोष यही चाहा गया था।

सम्वत 2010–2013 की गिरदावरी प्रविष्टि में पुजारी शब्द कहीं भी दर्ज नही है, ना ही अपीलार्थी (वाद–मित्र) प्रथम व द्वितीय अपील दोनो में ही यह सिद्व नही कर पाये कि तनसुखदास ही उक्त मन्दिर का पुजारी रहा था, मात्र भू–प्रबन्ध की प्रविष्टि पुजारी घोषित होना प्रमाणित नही माना जा सकता है। सम्वत 2010–2013 गिरदावरी में तनसुखदास पुत्र दौलादास उपकृषक की हैसियत से दर्ज है इसमें कही पर भी "पुजारी या चेला" दर्ज नही है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि तनसुखदास द्वारा भूमि मन्दिर की ओर से काश्त नही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

की गई थी बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से काश्त की गई थी। उक्त मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नही था बल्कि तनसुखदास ने अपनी निजी भूमि पर निजी रूप से पूजा पाठ करने हेतु बनवाया गया था। यदि मन्दिर सार्वजनिक होता तो देवस्थान विभाग द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा देवस्थान विभाग को सूचना प्रेषित की गई थी, परन्तु दिनॉक 19.12.2020 की पेशी पर देवस्थान विभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ। माननीय राजस्व मण्डल की आदेशिका दिनॉक 19.12.2020 के अनुसार मन्दिर की ओर से बजरंग सामरियो, लक्ष्मणसिंह, भंवरसिंह व दिलीप अग्रवाल को वाद मित्र स्वीकार कर पैरवी के लिये अधिकृत किया गया था। उक्त वाद मित्र माननीय राजस्व मण्डल की उक्त अपील की न्यायिक कार्यवाही में शामिल रहे है।

राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत वादीगण के पूवर्ज तनसुखदास उक्त भूमि के स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके थे। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित विश्लेषण कर न्यायोचित निर्णय प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पूर्व राजस्व वाद सं. 22/2019 सुवालाल बनाम राज. सरकार में वाद विचारण के दौरान राज. सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से दिनॉक 16.05.2019 को राजस्व अभिलेखीय स्थिति अनुसार जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था एवं तत्पश्चात लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी, तदनुसार प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायोचित निर्णय प्रदान करने की कृपा करावें।

प्रतिवादी पक्ष सं. 2 की ओर से वाद मित्र दिलीपसिंह पुत्र कुबेरसिंह राजपूत द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि " मेरे द्वारा R.A.A. नागौर व राजस्व मण्डल अजमेर में वाद मित्र की हैसियत से अपीलें प्रस्तुत की गई थी जिनमें मन्दिर की ओर से मेरा मूल कथन यही था कि मन्दिर को पक्षकार नही बनाया गया है, माननीय न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। मेरे पास इस प्रकार का कोई प्रमाणिक अभिलेखीय साक्ष्य नही है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि तनसुखदास मन्दिर का पुजारी था, गिरदावरी सम्वत 2010–2013 में तनसुखदास के साथ पुजारी "शब्द" दर्ज नही है ना ही "चेला" शब्द दर्ज है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 28.06.2019 को निरस्त करवाये जाने हेतु एक वाद जरिये वादमित्र मन्दिर की ओर से माननीय सिविल न्यायाधीश कुचामनसिटी के न्यायालय में विचाराधीन है, गुणावगुण के आधार पर मा. माननीय न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा भी न्यायोचित निर्णय अवश्य भावी है। अतः निवेदन है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार न्यायोचित ओदश प्रदान फरमाने की कृपा करावें।

इसी प्रकार वाद मित्र दिलीप अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी ने भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार न्यायाचित आदेश प्रदान फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) [stamp]

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र बन्नाराम खटीक निवासी कुचामनसिटी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर की अपील में पक्षकार के तौर पर संयोजित होकर मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज कुचामनसिटी के हितार्थ कानूनी चारा जोही की थी, जिसके तहत अपील स्वीकार होकर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय 06.03.2020 एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 28.06.2019 खारिज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी को निर्देश दिये कि दोनो पक्षकारों की साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अुनसार निर्णय पारित करे। प्रार्थना–पत्र में सारतः कथन किया गया है कि वादार्थ संरक्षक के तौर पर प्रतिवादी पक्षकार के तौर संयोजित हेतु आवेदन पेश किया जा रहा है, अतः प्रतिवादी संयोजित करने के आदेश फरमावें। प्रार्थना–पत्र के साथ वकालतनामा वकील श्री मोहम्मद हनीफ एवं फर्द दस्तावेज के साथ कुछ पत्रों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है जो कुछ तो बिल्कुल ही अपठनीय है एवं फर्द दस्तावेज के कॉलम नं. 2 का विवरण भी अपठनीय है। जिससे स्पष्ट नही हो रहा है कि साथ में कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उक्त सभी शामिल पत्रावली किये गये।

चूँकि उक्त तीनो वाद मित्रो को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील में वाद मित्र के रूप में स्वीकार किया जाकर पक्षकार अपीलार्थी संयोजित कर लिया था एवं अब इस कार्यवाही में उपस्थित होकर न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले रहे है, अतः पृथक से पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश वांछित नही है। प्रतिवादी सं. 1 एवं वाद मित्रों के प्रस्तुत लिखित कथनों के अनुसार अब इस प्रकरण की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट हो रही है –

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने कथन में राजस्व अभिलेखीय स्थिति का ही उल्लेख किया है प्रतिवादी सं. 2 वाद मित्र दिलीपसिंह व दिलीप अग्रवाल द्वारा कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर न्यायोचित निर्णय प्रदान किया जावे, वाद मित्र बजरंगलाल ने अपने कथन में अभिलेखीय स्थिति का ही उल्लेख किया गया है जो कि पूर्व से ही पत्रावली पर है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अतिरिक्त कथन या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

इस न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व वाद में निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई थी –

1. आया वादीगण की पैतृक भूमि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747, 748 की खातेदारी उनके दादा तनसुखदास तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण के पिता सुजादास के नाम दर्ज रही है, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो से मरहूम रखकर भूमि मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई जो कतई गलत है ? ––– **जिम्मे वादीगण**

2 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण के पूर्वज एवं उनके पश्चात वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जमाबन्दी गिरदावरियो से स्पष्ट है, जिससे वादीगण मंदिर श्री बिहारी के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराये जाने के अधिकारी है ?

–– **जिम्मे वादीगण**

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3. आया वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 एवं 748 कुल रकबा 2.02 हैक्टर की खातेदारी अधिकार पाने के मुश्तहक है ?

---जिम्मे वादीगण

4. प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046-2065 में भू-प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई तथा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में स्तम्भ संख्या 6 में उप कृषक के रूप मे लालू पुत्र पन्ना कुम्हार सा. देह 1/2 तनादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त दर्ज है अतः वाद काबिल खारिज कराये जाने के लिए मुष्तहक है ? --- **जिम्मे प्रतिवादी**

5. अनुतोष ।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के पश्चात दौरान सुनवाई इस प्रकार का कोई पूर्व से भिन्न कथन या साक्ष्य उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। पूर्व के वाद पत्र व लिखित कथनों में किसी प्रकार की भिन्नता नही होने के कारण पूर्व में कायम की गई तनकियात के आधार पर ही पुनः विश्लेषण एवं विवेचन अनुसार तनकीवार निर्णय निम्न अनुसार है -

तनकी सं. 1 - इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनॉक 23.08.2022 के द्वारा विवेचन कर उल्लेख किया है कि "राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2)राज.6/2007/14 दिनॉक 25.04.07 के क्रम में अप्रार्थीगण के पूर्वज ही विवादित भूमि के खातेदार है जबकि जमाबंदियों में प्रारम्भ से ही भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः उपर्युक्त परिपत्र के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने विवादित भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी में मानने कीत्रुटि की है।"

पत्रावली पर इस परिपत्र के साथ-साथ राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र क्रमांक/प. 3 (2)राज/6/07/19 दिनॉक 25.11.2011 पूर्व से ही संलग्न है, जो परिपत्र दिनॉक 25.04.07 की निरन्तरता में ही जारी किया गया है में उल्लेख किया गया है " राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफ्रेंस प्रार्थना-पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित किये जाने चाहिये।"

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 के क्रम में राजस्व विभाग राज. सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-6(12)राज.16/92/26 दिनॉक 20.12.1995 जो मूलतः धारा 136, राज. भू-राजस्व अधि. 1956 से जुड़ा है। उक्त परिपत्र से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रेकार्ड में जो भी अंकन भू-प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्ण का है भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नये रेकार्ड में दोहराया जाना चाहिये जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भू-प्रबन्ध विभाग को यह अधिकार नही है कि राजस्व रेकार्ड में आये इन्द्राज को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राज भू-प्रबन्ध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जावेंगी।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त अपील के निर्णय दिनॉक 23.08.2022 में इस परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी सं. 1 के सम्बन्ध में ही विवेचन कर प्रतिप्रेषण आदेश पारित किया है। अन्य तनकियात के सम्बन्ध में विश्लेषण पश्चात किसी प्रकार की टिप्पणी या प्रतिप्रेषण आदेश किसी प्रकार का विशेषतः आदेश नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के शीर्षक में " वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधि. 1955 एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधि. " उल्लेख है परन्तु वादीगण का मुख्य अनुतोष भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को शुद्व करवाने का है। अभी सुनवाई के दौरान भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भी यही उल्लेख किया है कि हमारा मुख्य अनुतोष भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टि को शुद्व करवाने का ही है। प्रस्तुत वाद पत्र के प्रथम दृष्टया से ही उक्त वाद पत्र राज. भू–राज.अधि. 1956 की धारा 136 का प्रार्थना–पत्र परिलक्षित है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनॉक 23.08.2022 के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय दिनॉक 06.03.2020 एवं इस न्यायालय के निर्णय दिनॉक 28.06.2019 को खारिज करते हुये दोनो पक्षो की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

आदेश

अतः प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन पश्चात वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को आंशिक रूप से राज. भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 136 के प्रार्थना–पत्र के रूप मे ही स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046 में ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 के राजस्व जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के नाम ग्राम कुचामनसिटी के वर्तमान खसरा नम्बर 747 व 748 में बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के परिवर्तित कर दिये गये इन दर्ज की गई प्रविष्टियों को भू–प्रबन्ध से पूर्व दर्ज प्रविष्टियों अनुरूप राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 31-10-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व–कोर्ट/2022/ 299 दिनॉकः– 31-10-2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :–राजस्व वाद सं. 154/2022 GCMS 2022/311 सुवालाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश की पालना बाबत।

---X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 154/2022 GCMS 2022/311 सुवालाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश की पालना हेतु प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)